पत्रांक jk-01223/12

प्रेषक,

जीवछ कुमार
प्रमाणिक वास्तुकार,
सहरसा नगर परिषद
रजिस्टेशन संख्या – 01/10
बस स्टैंड से पूरब, गंगजला, सहरसा।
जे. के. आर्किटेक्ट,
104,108 प्रथम तल्ला, साबु कॉम्पलेक्स,
एक्जीविशन रोड,पटना – 800001 ।

सेवा मे,

श्रीमति कामेश्वरी कुमारी
पिता – स्व0 हरिहर प्रसाद सिंह ,राठोर भवन ,सहरसा।
में ट्रस्टी श्री नारायण फाउण्डेश्न वास्ते श्री नारायण मेडिकल
इन्स्टीच्युट एण्ड हॉस्पीटल।

सहरसा, दिनाकः– 25/09/2012

विषयः– प्लान केस सं0– P/Shc/PCN-5-170/12 की स्वीकृति के संबंघ में।

महाशय,

आपके द्वारा प्रस्तावित सर्वे/म्युनिसिपल/सीमित भूखण्ड सं0– 1139, 1141, 1147, 1148, 1140, 3885, 3886, 3887, 3876, 3827, 3830, 3920, 3838, 3839, 3934, 1149, 1221, 1145, 1155, 3896, 3897, 3898, 1146, 1226, 1227, 1149, 1154, 1234, 3353, 3354, 3355, 1134, 1126, 1132, 1136, 1903, 1920, 3901, 2010, 1149, 1139, 1932, 1917, 1918, 1975, 2012, 979, 2014, 4572, 4573, 2054, 1817, 1816, 1819, 1818, 1896, 1827, 1805, 183, 3909, 1976, 2011, 2017, 2016, 2003, 1936, 1919, 1143, 1959, 1966, 1965, 1964, 1930, 1963, 1962, 1960, 1961, 1128, 1131, 1967, 1975, 2012, 1979, 2014, 4572, 2004, 4573, 1988 (New) ; 75, 751, 749, 3058, 3059, 3060, 3015, 3007, 3009, 3011, 753, 752, 762, 693, 3043, 3044, 694, 745, 748, 690, 763, 693, 697, 1273, 1280, 1872, 1855, 2631, 2632, 2633, 1827, 1824, 2610, 2613, 2640, 2641, 2644, 2643, 3058, 3059, 3060, 653, 1816, 1817, 1818, 1836, 1856, 1868, 1807, 1859, 353, 3064, 3065, 2645, 1880, 1882, 2610,

2641,2642, 2643, 2644, 1853, 1845, 695, 1881, 1882, 697, 704, 705, 1880, 2610, 2615, 2640, 2641, 2644, 2643, 2630(Old);
मौजा/वार्ड सं0– 12 थाना सं0– 186, 187, 189 के संबंध में दिये गये नक्शा सं0– 170/12 की स्वीकति बिहार क्षेत्रियविकास प्राधिकार अधिनियम की धारा37(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है–

1 भवन निर्माण के पूर्व वाईलॉज के एपेंडिक्स एफ में वर्णित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्रमाणिक वास्तुकार एवं संबंधित नगर निकाय को दी जायेगी।
2 नक्शें में वणित सड़क चौड़ीकरण की भूट्टी को छोड़कर ही सामने की चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा।
3 प्रधिकार के वाईलॉज के एपेंडिक्स एच के अन्तर्गत वार्णित ऑक्युपेन्सी प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।
4 नर्माण के दैारान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।
5 अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्माण संरचना है जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया है तो उसका सीमावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
6 बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामक फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्रमाणिक वास्तुकार से अनुमति प्राप्त कर हीं भवन में प्रवेश किया जायेगा।
7 वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8 वाईलॉज में उप–विधि 20.01.06 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड में 2–2–4 पेंड़ लगाना है।
9 भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधन करना होगा। बहुमंजिले भवनों के केस में भूकम्प से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रुप से डिसप्ले किया जाय।
10 परिसर में Rain water harvesting system का प्रावधन करना होगा।
11 पब्लिक बिल्डींग में अपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज कै एपेंडिक्स– पी के अनुरुप सुनिश्चित करना होगा।
12 स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्रमाणिक वास्तुकर से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने मंजिले के लिये है,का उल्लेख किया जाय।
13 निर्माण स्थल पर प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा स्वीकृत नक्श कि एक प्रति अनिवार्य रुप से रखा जाय ताकि नगर निगम के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उन्हें स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

विश्वासभाजन,

25/09/2012

(जीवछ कुमार)
प्रमाणिक वास्तुकार
सहरसा नगर परिषद, सहरसा